

पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



फोटो

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवदेन पत्र

1. छात्रा का पूरा नामब्लड ग्रुप
2. कक्षाविषय
3. वर्ग-सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य.....
4. पिता का नाम
5. माता का नाम
6. पूरा पता.....
मोबाइल नं.....आधार नं.
7. कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारी
8. विश्वविद्यालय में प्रवेश का दिनांक(रसीद की छायाप्रति संलग्न करें)
9. स्थानीय अभिभावक का नामआयु.....
पूरा पता.....
मोबाइल नं.
10. पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण में अंक सूची की प्रति संलग्न करें।

छात्रा द्वारा घोषणा-पत्र

मैंआत्मजा

कक्षाघोषणा करती हूँ के मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। मैं छात्रावास के समस्त नियमों का पालन करूँगी।

पिता के हस्ताक्षर.....

मोबाइल नं.....

छात्रा के हस्ताक्षर

प्रवेश की अनुशंसा

छात्रा कु.....

कक्षा.....को छात्रावास में प्रवेश देने की अनुशंसा की जाती है।

छात्रावास अधीक्षक

चीफ वार्डन

घोषणा – पत्र

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी पुत्री जो कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है एवं छात्रावास में निवास हेतु इच्छुक है। यदि पुत्री को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति मिलती है तो मैं छात्रावास के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

1. विश्वविद्यालय/छात्रावास परिसर अथवा परिसर के बाहर रेंगिंग चाहे वह किसी भी रूप में हो, यदि मेरी पुत्री/पाल्या उसमें लिप्त पाई जाती है तो उसके संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की जो भी धाराएँ लगती हैं उसके अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
2. छात्रावास के नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप जो भी दंड निर्धारित किया जावेगा। वह मुझे एवं मेरी पुत्री/पाल्या को मान्य होगा।
3. आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने पर पुत्री/पाल्या को तत्काल बाहर ले जाने एवं उपचार दायित्व मेरा या स्थानीय अभिभावक का होगा।
4. परिसर के बाहर जाना पुत्री/पाल्या का अधिकार नहीं होगा। बगैर अनुमति ऐसा करने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
5. मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पुत्री/पाल्या किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है एवं उसे सभी आवश्यक टीके लगे हैं।

मैं श्री यह घोषणा करता हूँ कि मैंने छात्रावास संबंधी सभी नियमों को पढ़ लिया है एवं उनका पालन मेरे तथा मेरी पाल्या द्वारा किया जावेगा। मेरे द्वारा छात्रावास शुक्ल प्रवेश के समय ही जमा कर दिया जावेगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्रा के हस्ताक्षर

नाम:-

नाम :-

मोबाइल नं.:-

प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र

छात्रावास प्रवेश के समय आवश्यक पूर्तियां, छात्रा अभिभावक पालक द्वारा पूर्ण करना आवश्यक होगा। छात्रावास प्रवेश फार्म के साथ निम्नलिखित आवश्यकताएं सामग्री लाना आवश्यक होगा। इसके अभाव में प्रवेश संभव नहीं होगा।

1. प्रवेश के समय छात्रा के पालक (माता-पिता) स्थानीय अभिभावक की उपस्थिति आवश्यक है।
2. किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा नवीनतम संक्रमित एवं असाध्य रोग न होने का मूल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
3. उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची।
4. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के हो तो आवश्यक प्रमाण-पत्र।
5. मिलने वाले दो विजिटर के तीन-तीन छायाचित्र/आधार कार्ड/पालक द्वारा प्रमाणित।
6. स्थानीय अभिभावक की आयु 30 वर्ष से कम न हो।

पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



फोटो

छात्रा की व्यक्तिगत जानकारी

1. छात्रा का पूरा नाम
2. कक्षा जन्म तिथि विवाहित/अविवाहित.....
3. श्रेणी : सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अ.ज.जा./अ.जा./अन्य.....
4. आधार नम्बर वोटर आई.डी.....
5. ब्लड ग्रुप कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

परिवार का विवरण –

पिता का नाम..... व्यवसाय मोबाइल नं.
माता का नाम मोबाइल नं.

स्थायी पता.....

ग्राम पोस्ट तहसील जिला

प्रदेश, पिन कोड

माता-पिता के अतिरिक्त छात्रा से मिलने वाले व्यक्तियों का विवरण –

नाम	छात्रा से संबंध	आधार नं.	मोबाइल नं.

छात्रावास नियमावली

1. विश्वविद्यालय से संबंधित छात्रावास विश्वविद्यालय में है। जो छात्राएं छात्रावास में प्रवेश चाहती हैं, वे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न आवेदन को भरकर प्रवेश समिति के पास आवेदन प्रस्तुत करें/ छात्रावास में स्थान सीमित होने से प्रत्येक प्रार्थी छात्रा को छात्रावास में प्रवेश मिलेगा ही यह निश्चित नहीं है। छात्रावास में केवल इसी विश्वविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश संबंधी प्रकरणों में विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
2. यदि किसी छात्रा की शैक्षणिक प्रगति एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहता है तो उसे छात्रावास की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।
3. प्रवेश सूची जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
4. छात्रावास शुक्ल प्रवेश के साथ जमा करना होगा।
5. छात्रावास देय शुल्क आवास एवं अन्य सुविधाओं के लिए हैं।
6. परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाली छात्राओं को छात्रावास में किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
7. किसी भी छात्रा के साथ उसके अभिभावक को छात्रावास में छात्रा के साथ रहने की अनुमति नहीं है।
8. विवाहित छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
9. छात्रावास की छात्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति/महिला या अभिभावक के छात्रावास के कमरे में जाने की अनुमति नहीं है।
10. मेस की निर्धारित राशि पृथक से देय होगी। मेस शुल्क में कटौती किसी भी तरह नहीं की जाएगी।
11. छात्राओं को घर जाने पर उनकी सुरक्षा देखते हुए उनके अभिभावक को छात्रावास से सूचित किया जाता है। अतः अभिभावक का दायित्व बनता है कि छात्रा के घर से वापस आने पर सूचित किया जाए।
12. छात्राये छात्रावास में प्रवेश नियम के अंतर्गत अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर दें। अपनी बीमारी न छुपायें। छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा के अलावा अन्य सुविधा नहीं दी जा सकती है।
13. छात्रायें छात्रावास तथा बाहर जाने पर मर्यादित परिधान का उपयोग करें। जो परिधान अशोभित लगते हैं छात्रायें छात्रावास में न पहनें। अभिभावक का दायित्व बनता है कि छात्राओं को इस बात का ध्यान घर पर ही दिलायें तथा ऐसे परिधानों को साथ न रखें। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
14. छात्रायें घर से ही दैनिक उपयोगी सामान लेकर आयें क्योंकि महीने में केवल दो ही बार (पाक्षिक) बाहर जाने दिया जाएगा, विशेष परिस्थिति में अपने अभिभावक के साथ ही बाहर जा सकेंगे।

स्थानीय अभिभावक

1. छात्रा को छात्रावास से बाहर अकेले किसी भी हालत में नहीं जाने दिया जावेगा, केवल रविवार को प्रातः 08 से 11 बजे के मध्य ही स्थानीय पालक के घर तथा बाजार जा सकती है। सायं 6 बजे के पूर्व छात्रा को वापस आना होगा।
2. स्थानीय पालक के घर रात्रि विश्राम की अनुमति माता/पिता द्वारा दी जावेगी उसी स्थिति में छात्रा स्थानीय अभिभावक के घर रात्रि विश्राम कर सकेगी अन्यथा नहीं।
3. छात्रा से अधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य कोई नहीं मिल सकता।
4. छात्रा के अभिभावक यदि किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक कार्य से मिलने भेजते हैं तो उन्हें अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

विशेष ध्यान देने योग्य मुख्य बातें

1. छात्रावास में रैंगिंग सर्वथा वर्जित है। रैंगिंग सम्बंधी शिकायत पाये जाने पर निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।
2. भोजन निर्धारित स्थान में ही करें।
3. छात्रावासी छात्रा को छात्रावास के निर्धारित टाइम टेबिल का पूरा पालन करना होगा। निश्चित समय अनुसार नास्ता, भोजन, सोना, पढ़ना तथा अन्य कार्य को करना होगा।
4. छात्रावासी छात्राओं को मिलने का समय रविवार अपरान्ह 3 बजे से सायं 6 बजे तक होगा।
5. छात्रावास में अतिथि रखने का कोई प्रावधान नहीं है एवं छात्रावास की छात्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी छात्रावास में नहीं ठहरेंगे।
6. छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने अनुशासन तोड़ने या अन्य कोई भी आपत्तिजनक तथा अनुशासनहीनता के व्यवहार का कार्य करने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा।
7. छात्रावासी छात्रा को अपने साथ थाली, कटोरी, ग्लास, बेडिंग इत्यादि आवश्यक सामग्री लानी होगी। अपने सामग्री की सुरक्षा का दायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
8. छात्रावास में मूल्यवान वस्तुएं, आमूषण इत्यादि रखना वर्जित है।
9. छात्राओं से यह अपेक्षा है कि ये छात्रावास की वस्तुओं का सावधानी से उपयोग करेंगी। यदि कोई वस्तु टूट-फूट जाती है या उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसकी वर्तमान कीमत या वस्तु छात्रा से वसूल की जायेगी। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कमरे छात्रावास, बाथरूम, डायनिंग रूम आदि सभी स्थानों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखेगी। यदि कचरा अव्यवस्थित पाया गया तो कमरे में रहने वाली सभी छात्राएं अनुशासनहीनता के दण्ड की भागी होगी।
10. छात्राओं से यह आशा है कि वे छात्रावास के पंखे, बिजली, पानी का उपयोग मिव्ययता पूर्वक करेगी।
11. छात्रावास के कमरों में रूम हीटर, एमल्शन राड, प्रेस, रेडिया, टीवी कूलर, स्वयं का पंखा, टेप रिकार्डर आदि रखना वर्जित है।

छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त सभी नियमों को ध्यान से पढ़ेगी समझेगी तथा उनका कड़ाई से पालन करेगी। समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों का भी पालन करेगी। छात्रावास में कोई भी छात्रा यदि किसी नियम को भंग करेगी तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अधीक्षक